समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 21 September 2026

कैबिनेट का बड़ा फैसला : दो से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेगें पंचायतीराज और नगरपालिका चुनाव

राजेश चौधरी

Published on 26 Feb 2026

□□□□□□ □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का निर्णय किया गया।

कैबिनेट के इस फैसले के तहत दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को भी पंचायतीराज एवं नगरपालिका चुनाव लड़ने की पात्रता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। यह निर्णय स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ी पूर्व शर्तों में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

बैठक में राज्यहित से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई और विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार के अनुसार, इन संशोधन विधेयकों से स्थानीय स्तर पर व्यापक जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा और अधिक लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिलेगा।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/राजेश चौधरी, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.